

फर्द अहकाम

बालू बनाम नाथूराम वगै०

न्यायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

केस सं० 118/25

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10/7/25	वकील श्री राम सिंह ने वाद पत्र बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। रिपोर्ट सरिस्ते हो चुकी है। अतः पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी होकर पत्रावली दिनांक 13/8/25 को पेश हो।	
	13/8/25	<del>पत्रावली पेश की पक्षों उपर ही</del> वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी के लिये पत्रावली दिनांक 25/8/25 को पेश की	
	25/8/25	पत्रावली पेश की वादी द्वारा तलबी नहीं करायी गई है। अतः न्यायालय में अवसर दिनांक 25/8/25 को पत्रावली दिनांक 8/9/25 को पेश हो।	
	8/9/25	पत्रावली पेश हुई। कोई पक्षों हाजिर नहीं है। आज न्यायालय में पक्षों को उपस्थित के लिए तीन-चार आवाने लगायी गई। फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः पत्रावली 0-9, R-3 CPC के प्रावधानों के तहत कफल पत्रकी - कफल हाजिरी के खारिज करवायी जाती है। पत्रावली में जल शुद्ध होना कफल दायित्व ही दर्ज नमूने के लिये है।	

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ रेनवाल